



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 48/17

निर्णय दिनांक:- 09.07.2018

1. करणाराम पुत्र सुगनाराम जाति बावरी निवासी तेनदेसर हाल चक 7 जीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. रामदेवाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी राणेर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28-10-2016  
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थित:-

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 28-10-2016 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र जैरकार रहते हुए वादगत् भूमि का बतौर विशेष आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन हेतु चक 7 जीएम के मुरब्बा नम्बर 33/4 में तादादी 6.14 बीघा कमाण्ड भूमि बाबत वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अरनेस्ट मनी के रूप में 500/- रुपये जरिये जीए 55 खजानाराज में जमा करवाये गये थे। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। इस प्रकार अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य किसी का आवेदन नहीं है ऐसी स्थिति में एकल प्रार्थना पत्र के आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया जाता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या बिल्कुल गलत है क्योंकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 से जैरकार है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में ही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में है तथा वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। उक्त समस्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद रहते हुए भी अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोंडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा वादगत् भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

अदालत मातहत ने आवंटन सलाहकार समिति की मिटिंग बुलाये बिना ही स्वयं अपनी मनमर्जी से बिना वरियता के वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन सलाहकार समिति की राये के किया गया आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियो वाईड आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जाँच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। चूँकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि चक 7 जीएम के मुरब्बा नम्बर 33/04 में 6.14 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट द्वारा तमात सबूत यथा तहसील की भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची वर्ष 1988, 2003, सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र व आवेदक व पत्नि के दो पासपोर्ट साईज फोटो आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम सबूतों की जाँच की गई तथा जाँच उपरान्त अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का एकल आवेदन है तथा प्रार्थी की सर्वोच्च वरियता होने पर तथा आवंटन हेतु तमाम औपचारिकता पूर्ण होने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर

अपीलांट का वर्तमान में कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जहाँ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र जैरकार है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष नाही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया साबित हो कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र जैरकार अथवा पैण्डिंग हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि चक 7 जीएम के मुरब्बा नम्बर 33/04 में 6.14 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन पत्र वर्ष 2007 से जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

(3) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 से जैरकार है व अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही

न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही अपीलांट द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति या अपीलांट के कथनानुसार कि उनके द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अरनेस्ट मनी 500/— रूपये जरिये जी.ए. 55 खजानाराज में जमा करवाये गये है कि फोटो प्रति आदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलांट के वादगत् भूमि के आवंटन के अधिकार उत्पन्न होते हो व अपीलांट की अपील व कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो।

(4) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थी रामदेव राम पुत्र खुमाराम जाति जाट का एकल आवेदन पत्र है अतः अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की वरियता मानते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजाना राज में जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र धोषित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 28-10-2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर